कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 428/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 12.11.2026

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के 13,840.23 रुपये पीड़ित के खाते में वापस कराए गए

☐ थाना रौनापार की साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड की धनराशि में से 13,840.23 रुपये पीड़ित के खाते में वापस कराए गए। शेष होल्ड धनराशि वापस कराने की कार्यवाही प्रचलित है।

घटना का विवरण-

आवेदिका श्रीमती रिंकी गौड़ पत्नी सुरेन्द्र गौड़ निवासी ग्राम करीमुल्लाह पट्टी, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके पति सुरेन्द्र गौड़ ने विदेश जाने के लिए एक एजेंट को 2.5 लाख रुपये दिए थे, किन्तु एजेंट द्वारा न तो उन्हें विदेश भेजा गया और न ही धनराशि वापस की गई। इस संबंध में आवेदिका द्वारा दिनांक 22.06.2026 को साइबर शिकायत संख्या 23106260118487 दर्ज कराई गई।

पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई-

शिकायत प्राप्त होने पर थाना रौनापार की साइबर टीम द्वारा संबंधित बैंकों से ई-मेल एवं वार्ता के माध्यम से समन्वय स्थापित कर फ्रॉड की गई कुल धनराशि में से 1,86,273.02 रुपये विभिन्न खातों में होल्ड कराए गए। होल्ड धनराशि में से 13,840.23 रुपये MRM पोर्टल के माध्यम से दिनांक 07.11.2026 को पीड़ित सुरेन्द्र गौड़ के बैंक खाते में वापस कराए गए। शेष होल्ड धनराशि भी वापस कराने की कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस टीम का विवरण-

साइबर टीम, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

आजमगढ़ पुलिस की अपील-

साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

AI तकनीक का दुरुपयोग कर आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

☐ थाना दीदारगंज पुलिस द्वारा AI तकनीक का दुरुपयोग कर आपत्तिजनक फोटो तैयार कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में वांछित अभियुक्त पिन्टू मौर्या को ग्राम भादो स्थित उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन तथा थाना प्रभारी दीदारगंज के नेतृत्व में दिनांक 12.11.2026 को उ0नि0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह पुलिसकर्मी द्वारा मु0अ0सं0 209/2026 धारा 196/299 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त पिन्टू मौर्या पुत्र हरिश्चन्द्र मौर्या निवासी ग्राम भादो, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष को उसके घर के पास से समय करीब 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 209/2026 धारा 196/299 बीएनएस, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह, का0 विकास यादव, थाना दीदारगंज।

आजमगढ़ पुलिस की चेतावनी-
AI तकनीक का दुरुपयोग कर किसी व्यक्ति की आपत्तिजनक, भ्रामक अथवा छवि धूमिल करने वाली फोटो/वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करना दण्डनीय अपराध हो सकता है। ऐसे कृत्य में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

□ ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ रील बनाने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार

□ थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों से दो अभियुक्त गिरफ्तार।

□ अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध देशी तमंचे .315 बोर एवं 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही एवं घटना का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान एवं ऑपरेशन वज्रपात के तहत दिनांक 11.11.2026 को थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध तमंचे के साथ रील बनाने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

➡ □पुलिस कार्रवाई के दौरान दोनों अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असलहे एवं कारतूस बरामद किए गए। अभियुक्तों द्वारा अवैध असलहों के साथ सोशल मीडिया पर रील बनाकर प्रसारित की गई थी। इस प्रकार अवैध असलहों का प्रदर्शन कर सोशल मीडिया पर भय एवं दहशत का माहौल उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा था।
प्रथम गिरफ्तारी- दिनांक 11.11.2026 को उ0नि0 अक्षयदीप सिंह मय हमराह पुलिसकर्मियों द्वारा ग्राम इमलीपुर स्थित ईंट भट्ठे के पास से अभियुक्त विकास यादव पुत्र संतराज यादव निवासी ग्राम कुर्थीपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर एवं एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। इस संबंध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 261/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
द्वितीय गिरफ्तारी- दिनांक 11.11.2026 को उ0नि0 संतोष कुमार पाठक मय हमराह पुलिसकर्मियों द्वारा गोरिया नहर पुलिया के पास से अभियुक्त विकास यादव पुत्र विरेन्द्र यादव निवासी वार्ड नं0 11 शिवनगर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर एवं एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। इस संबंध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 262/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-
1. विकास यादव पुत्र संतराज यादव निवासी ग्राम कुर्थीपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
2. विकास यादव पुत्र विरेन्द्र यादव निवासी वार्ड नं0 11 शिवनगर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
पंजीकृत अभियोग-
1. मु0अ0सं0 261/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 262/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़।
बरामदगी-
- 02 अवैध देशी तमंचे .315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में उ0नि0 अक्षयदीप सिंह, उ0नि0 संतोष कुमार पाठक, का0 अजय पाठक, का0 विमल शंकर मिश्र, रि0का0 आशुतोष सिंह, का0 सुरेन्द्र पाल, का0 सतपाल सिंह एवं का0 कृपाशंकर द्वारा उक्त कार्रवाई की गई।